1.6

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-------

No--- Dated--24/03/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.208 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Gramya Vikash Vibhag for Construction of Kausani to Malladoba Motor Road in Bageshwar district falls within jurisdiction of Malladoba village (s) in Garur tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.208 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30.1 to 30.4 annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Bhupal Singh Manral
District Collector
District Level Committee

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT-BAGESHWAR (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Bageshwar district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Bhupal Singh Manral I.A.S District Collector, on dated --24/03/2015---- at time--11:00 AM-at Bageshwar in which application claiming rights in Reserve forest area measuring — hect, Civil Soyam 2.208 hect & Van Panchayat - for the construction of Kausani to Malldoba Motor Road Extenstion forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Bageshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:- Bageshwar
Dated:-

Bhupal Singh Manral
District Collector
District Level Committee

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग निर्माण के प्रभावित होने वाली वन भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सोमेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, सोमेश्वर

उपखण्ड सोमेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा ------------- (----हे0 ग्राम ... आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 2.208 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.70 हे0 वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दिनांक -------------- को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री --------------, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1	श्री एम. एस. नगन्याल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री भूपेन्द्र सिंह जीना	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	श्री	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4	बबलू अरुमीपा	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.208 हे0 वन भूमि ------- ग्राम्य विकास विभाग ------- प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनु''ंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ------------ परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.208 हे0 वन भूमि ग्रा. वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
सोमेश्वर
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सोमेश्वर
जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– सोमेश्वर
जनपद अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–बागेश्वर

उपखण्ड गरूड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग निर्माण हेतु (– है0 आरक्षित वन भूमि, – है0 सिविल सोयम भूमि, 2.208 है0 वन पंचायत भूमि, नापभूमि 0.492 है0) अर्थात कुल 2.70 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–गरूड़) की दिनांक 16/05/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री चन्दन सिंह डोबाल, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री चन्दन सिंह डोबाल	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	रेखा पाण्डे	क्षेत्र पंचायत	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.208 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र

प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.208 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–बागेश्वर
जनपद–बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–बागेश्वर
जनपद–बागेश्वर

1·6

प्रारुप—30.3

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम— मल्ला डोबा

तहसील— गरुड़ जिला— बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी- मल्ला डोबा मोटर मार्ग. परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.208 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.492 हे0 नाप भूमि, — हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.70 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत मल्ला डोबा द्वारा दिनांक 22.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम म० डोबा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत मल्लाडोबा
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

ग्राम सचिव

मुहर सहित

मुहर सहित
9.6.15
दन पंचायत मल्ला डोबा
सरपंच मल्ला डोबा

प्रारुप–30.3

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्ला डोबा तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– डौनी

तहसील–सोमेश्वर जिला– अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी– से मल्ला डोबा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि 2.208 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.492 हे0 नाप भूमि, — हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.70 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत डौनी द्वारा दिनांक 22.01.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृशि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डौनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत डौनी
वि०ख०–ताकुला (अल्मोड़ा)

मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
प्रधान
ग्राम पंचायत डौनी
वि०ख० ताकुला (अल्मोड़ा)
मुहर सहित

सरपंच
वन पंचायत डौनी
जिला – अल्मोड़ा

प्रारूप

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत मोटर मार्ग।

आमसभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी0 के निर्माण के लिए पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित समरेखन के सम्बन्ध में ग्रामसभा की आम बैठक की गई बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बागेश्वर द्वारा जो समरेखन संख्या–1 तय किया गया है इस समरेखन के अन्तर्गत आने वाली हम कास्तकारों की भूमि मोटर मार्ग के निर्माण के लिए देने को सहमत है। हम विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार है।

कास्तकार का नाम	ग्रामसभा	हस्ताक्षर
हरीश चन्द्र	मल्लाडोबा	[illegible]
Shiv Datt	मल्ला डोबा	Shiv Datt
मनोज सिंह	मल्ला डोबा	मनोज सिंह
[illegible]	,,	मनोराम
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
पूरनराम	मल्लाडोबा	[illegible]
कुशाल सिंह	,,	कुशाल

[illegible]
प्रधान
ग्राम पंचायत मल्लाडोबा
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)

प्रारुप–30.4

दिनांक 22/01/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ......डौनी............

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री गोपाल सिंह महरा	[signature]
2.	श्री नन्दन सिंह महरा	[signature]
3.	श्री बहादुर सिंह महरा	[signature]
4.	श्री राम सिंह महरा	[signature]
5.	श्री शिव सिंह नयाल	[signature]
6.	श्री किशन सिंह	[signature]
7.	श्री दिवान सिंह अल्मीयाँ	[signature]
8.	श्री हुकम सिंह	हुकमसिंह
9.	श्री नन्दन सिंह	[signature]
10.	श्रीमती शीला देवी	शीला देवी
11.	श्रीमती पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
12.	श्रीमती सावित्री देवी	सावित्री देवी
13.	श्री पान सिंह	Pan Singh
14.	राजेन्द्र सिंह	Rajendra
15.	लालसिंह अल्मीयाँ	[signature]
16.	भूपाल सिंह	भूपालसिंह
17.	दिवान सिंह	दिवान सिंह
18.	मोहनसिंह	[signature]
19	हीरा सिंह महरा	हीरासिंह
20.	जोगा राम (पि) जगदीश	जगदीश राम
21.	जमन सिंह राना	जमनसिंह राना
22.	किशन सिंह बिष्ट	[signature]
23.	महेन्द्र कुमार	महेन्द्र कुमार
24.	गोविन्द राम	Govind Ram
25	कैलाश राम	कैलाशराम
26.	गोपाल राम	गोपाल राम
27.	नन्दन सिंह राना	[signature]
28.	पूरन राम	पूरनराम
29.	पनी राम	पनीराम
30.	नन्दन राम	नन्दनराम
31	बबलू अल्मीयाँ	[signature]

[signature] ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत डौनी
वि0ख0 ताकुला (अल्मोड़ा)

प्रारुप–30.4

दिनांक 22.01.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मल्लाडोबा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-		
2-		
3.	[illegible]	[illegible]
4	कुन्दनसिंह मेहता	[illegible]
5.	शिव दत्त उप्रेती	Shiv Datt
6	भगवानसिंह	[illegible]
7-	मनोज सिंह	मनोज सिंह
8-	पनीराम	पनीराम
9-	विमला देवी	विमला देवी
10-	हरी प्रसाद	हरीप्रसाद
11-	पूरनराम	[illegible]

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत मल्लाडोबा
वि0 ख0 गरूड़ (बागेश्वर)